न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/64/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/134

अपीलार्थी
श्री रविप्रकाश यादव,
व्याख्याता, हाल कार्यरत रा.उ.मा.वि. कोटकासिम
जिला–अलवर (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 21.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 23.05.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 21.02.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी कार्यालय से परिवेदना दिनांकः 15.01.2022 एवं इसी क्रम में पुनः प्रस्तुत परिवेदना दिनांकः 10.02.2022 व अन्यादि के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही संबंधी 02 बिन्दुओं पर प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. उक्त RTI प्रा0पत्र दिनांकः 21.02.2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को प्रेषित नहीं किये जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। स्मरण–पत्र जारी कर व ई–मेल के माध्यम से भी इस अनुक्रम में जवाब प्रेषण हेतु सूचित किया गया किन्तु प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही आदिनांक तक किसी प्रकार का जवाब नोटिस ही प्राप्त हुआ।
6. अतः **उक्त आलोक में अपील स्वीकार** की जाकर निस्तारित जाती है, साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 21.02.2022 में वांछित बिन्दुवार, सटीक सूचना उक्त निर्णयादेश प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में नियमानुसार अधिप्रमाणित व पूर्ण हस्ताक्षरित कर पंजीकृत–पत्र के जरिये अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जवाब समय पर नही भिजवाया जाना अधिनियम की भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है व उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना का प्रतीक है। अतः भविष्य में इस न्यायालय द्वारा अपील अन्तर्गत जारी नोटिस पर जवाब अतित्वरित भिजवाने की व्यवस्था की जावे, सुनिश्चित करें।
7. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. आज दिनांकः 23.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(seal: सहा० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर)

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)